(v) सचित्र कथा पुस्तकों सहित बाल साहित्य, बच्चों के लिए उपन्यासेतर, बाल कविता और तुकान्त कविता संग्रह, कमित प्रारंभिक पठन पुस्तकं, कक्षा I और II के लिए पाठ्यपुस्तक

(vi) अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए उपन्यास तथा उपन्यासेतर (यात्रा संस्मरण, जीवनियां आदि)

(vii) विश्वकोश, शब्दकोश

(ख) *अन्य संसाधन*

(i) श्रव्य–दृश्य उपकरण:: प्रक्षेपण, अनुलिपिकरण तथा टीवी, डिजिटल प्रोजेक्टर, फिल्मों, चार्टों, तसवीरों तथा राट (केवल प्राप्त टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अन्तः संबंध टर्मिनल) वांछनीय होगें।

(ii) संगीतात्मक वाछयंत्रः साधारण संगीतात्मक वाछयंत्र जैसेकि हार्मोनियम/सिंथेसाइजर, ढ़पली, ढ़ोलक, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाछयंत्र।

(iii) सामान्य इन्डोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेल और खेलकूद उपकरण।

(iv) अध्यापन अधिगम सहायक सामग्रीः

(क) चार्ट, तस्वीर, माडल

(ख) कच्चा माल जैसे कि लेखन सामग्री, चार्ट पेपर, माउंट बोर्ड, कपड़ा, काटनवूल आदि (कला और शिल्प क्रियाकलापों के लिए तथा कठपुतलियां, मृदल खिलौने, पिक्चर कार्ड, डोमिनो, वार्ता चार्ट, कथा कार्ड जैसी अधिगम सहायक सामग्री तैयार करने के लिए)

(ग) कैंची, स्केल आदि जैसे औजार।

(v) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन औजार

(vi) डिजिटल मल्टीमीडिया संसाधन

(vii) फोटो कापी करने वाली मशीन (वांछनीय)

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) अनुदेशात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक तथा उपर्युक्त फर्नीचर।

(ख) पुरूष और महिला छात्र–अध्यापकों के लिए अलग अलग कामन रूम।

(ग) पुरूष और महिला स्टाफ तथा छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट।

(घ) वाहन और वाहन खड़े करने के लिए स्थान।

(ङ) सुरक्षित पेयजल के लिए प्रावधान

(च) परिसर की नियमित सफाई, जल और टायलेट सुविधाओं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन की व्यवस्था।

(छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर, सुविधाएं आदि विकलांग अनुकूल होनी चाहिए।

(ज) भवन के सभी हिस्सों में आग की आपदा के लिए सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

टिप्पणीः संयुक्त संस्थान के मामले में, आधारिक तथा अन्य सुविधाएं विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा साझा की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–2

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा(डी.एल.एड) अध्यापक शिक्षा का दो वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा I से VIII तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समाज

की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लिंग अन्तरों को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

1.2 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न नाम हैं, जैसे बीटीसी, जेबीटी, डी.एड (डिप्लोमा इन एजुकेशन)। अबसे, इस कार्यक्रम का नाम सभी राज्यों में एक ही होगा और इसका उल्लेख 'प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा' {डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन(डी.एल. एड)} रूप में किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

डी.एल.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक–वर्षों की अवधि वाला होगा किन्तु, विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

(क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।

(ख) संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) विद्यार्थी–अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

3.1 दखिला क्षमता

बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों का होगा। प्रारंभ में, दो बुनियादी यूनिटों की अनुमति है। लेकिन, सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं के पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जा सकती।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदार प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ख) अनु जा./अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सीट–आरक्षण और अंकों में ढ़ील केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी, जो लागू होंगे।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार चयन या किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3.4 शुल्क

संस्था केवल वह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित किया गया होगा और विद्यार्थियो से दान, प्रतिव्यक्ति फीस(केपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम –कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डी.एल.एड का कार्यक्रम बाल्यावस्था के अध्ययन, शिक्षा के सामाजिक सन्दर्भ, विषय के ज्ञान, शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्यों, और सम्प्रेषण के कौशलों को संघटित करने के लिए तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में अनिवार्य और वैकल्पिक सिद्धान्त कार्यक्रम; अनिवार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम; और व्यापक स्कूल प्रशिक्षुता शामिल होंगे। सिद्धान्त और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धक निकाय द्वारा निर्धारित अनुपात में भारांश नियत किया जाएगा। संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के एिल इसका संदर्भ निर्धारित करते समय, यह मोटे रूप से अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा। आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा, और अशक्तता। समावेशी शिक्षा डी.एल.एड (प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा) पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में शिक्षा में परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे और उनमें शिक्षणशास्त्र के बारे में वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी होंगे। सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में तीन व्यापक शीर्षकों में अर्थात बाल अध्ययन, समकालीन अध्ययन और शैक्षिक अध्ययन के अन्तर्गत शिक्षा के आधार/परिप्रेक्ष्य शामिल होंगे। सिद्धान्त के पाठ्यक्रमों में भाषा प्रवीणता और संचार, नियत कार्यों और परियोजनाओं सहित संगत क्षेत्र–आधारित अध्ययन–यूनिट भी शामिल होंगे। पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

प्राथमिक अवस्था के लिए भाषा, गणित और पर्यावरणिक अध्ययनों में शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे; उच्च प्राथमिक अवस्था में समाज विज्ञान शिक्षा, भाषा शिक्षा, गणित शिक्षा और विज्ञान शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) प्रयोगात्मक कार्य

शिल्पों, ललित कलाओं, कार्य और शिक्षा, शिक्षा में सृजनात्मक नाटक और थिएटर, आत्म–विकास, बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यावसायिक कौशलों और क्षमताओं का भंडार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र में व्यस्तता के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप)

प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.एल.एड) कार्यक्रम शिक्षार्थियों और स्कूल को निरन्तर व्यस्त बनाए रखेगा और इसके द्वारा दो वर्षों के दौरान शुरू से अन्त तक पड़ोस के स्कूलों के साथ सहक्रियाशीलता का सृजन करेगा। विद्यार्थियों को स्कूलों में विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में अध्यापन और शिक्षाप्राप्ति के नवाचारी केन्द्रों, नवाचारी स्कूलों, शैक्षिक संसाधन केन्द्रों, अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति केन्द्रों का दौरा करना शामिल होगा। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) में अध्यापकों के कर्त्तव्यों और समुदाय की संलग्नता के बारे में शिक्षा के अधिकार (आर टी ई) के अनुबंध शामिल होंगे। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे:

पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 20 सप्ताह स्कूलों में प्रशिक्षुता के होंगे, जिनमें से पहले वर्ष के दौरान 4 सप्ताह कक्षाओं के कमरों में प्रेक्षण के लिए निर्धारित होंगे; स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान कम से कम 16 सप्ताह की अवधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए होगी, जिनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं।

(घ) क्षेत्र में कार्य के लिए और विद्यार्थी–अध्यापकों के अध्यापन से संबंधित कार्यों के अभ्यास के लिए संस्था की पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त स्कूलों तक आसानी से पहुंच होगी। यह वांछनीय है कि इसका स्वयं अपना एक संबद्ध प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल हो। संस्था ऐसे स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी, जो अध्यापन के अध्यापन के अभ्यास के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हों।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

संस्था को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों का पूरा करना होगा:

(i) सभी क्रियाकलापों, जिनमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण भी शामिल है, एक कैलेंडर तैयार करना। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रमों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षुता और कार्यक्रम के अन्य स्कूल–आधारित क्रियाकलापों की अनुमति देने के लिए स्कूलों की रजामन्दी की जानकारी देते हुए, कम से कम दस स्कूलों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जाए। ये स्कूल कार्यक्रम की अवधि के दौरान सभी प्रायोगिक कार्य और संबंधित कार्य के लिए बुनियादी सम्पर्क स्थल बनेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लाक कार्यालय विभिन्न टीईआई को स्कूल आबंटित कर सकता है।

(iii) विद्यार्थियों और संकाय के लिए आवधिक रूप से संगोष्ठियां, वाद–विवाद, भाषण और चर्चा समूह आयोजित करके शिक्षा के बारे में प्रवचन प्रारम्भ करना।

(iv) शिक्षा को समृद्ध बनाने के कार्यक्रम आयोजित करना, जिनमें मूल विषयों के शिक्षकों के साथ पारस्परिक कार्य भी शामिल हैं;सकांय के सदस्यों को अकादमिक अध्यवसायों में भाग लेने और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान/अध्यापन करने का काम हाथ में लेने के लिए सकांय लिए छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी।

(v) विद्यार्थियों को विचारशील चिन्तन और विवेचनात्मक प्रश्न पूछने के कौशलों का विकास करने में सहायता देने के लिए कक्षा में सहभागिता वाली अध्यापन पद्धति को अपनाना। विद्यार्थी सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें, प्रेक्षण रिकार्ड और मननशील पत्रिकाएं बनाए रखेंगे, जो विचारशील चिन्तन के लिए अवसर मुहैया कराते हैं।

(vi) उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापन के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा।

(vii) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल अवश्य दिया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम तथा अध्यापक शिक्षा संस्था दोनों के जरिए अध्यापक शिक्षा संस्था और स्कूल के बीच भागीदारी का पोषण अवश्य किया जाना चाहिए।

(viii) संस्था में विद्यार्थियों और शिक्षकों (फैक्लटी) की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र अथवा अथवा क्रियाविधि और व्यवस्था होगी।

(ix) स्कूल प्रशिक्षुता के लिएख अध्यापक शिक्षा संस्थाएं और भाग लेने वाले स्कूल विद्यार्थी–अध्यापकों को परामर्श देने, पर्यवेक्षण करने, उन पर नजर रखने और मूल्यांकन करने के लिए कोई परस्पर–सम्मत क्रियाविधि निर्धारित करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के लिए, 20% से 30% तक अंक सतत आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और 70% से 80% तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए नियत किए जा सकते हैं और कुल अंकों के एक–चौथाई अंक स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण पर के 16 सप्ताहों के दौरान विद्यार्थियों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियत किए जा सकते हैं। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारांश सम्बद्धक निकाय द्वारा ऊपर विर्निदिष्ट की गई श्रृंखलाओं के भीतर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों का आन्तरिक मूल्यांकन समूचे प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल अध्ययन के उनके यूनिटों के भाग के रूप में उन्हें दी गई परियोजना/दिए गए फील्ड कार्य के आधार पर नहीं। मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किए गए मापदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिएं, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों की सूचना दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में सौंपे गए वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डारियां, विचारशील जर्नल, आदि शामिल हो सकते हैं।

5. शैक्षिक (स्टाफ)

5.1 स्टाफ और शैक्षणिक निकाय

50–50 विद्यार्थियों के दो बुनियादी यूनिटों तक की भर्ती के लिए, संकाय सदस्यों की संख्या 16 होगी। प्रिंसिपल अथवा विभागाध्यक्ष को संकाय में शामिल किया जाता है। विषय–क्षेत्रों में संकाय का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:

1.	प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष	एक
2.	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार	तीन
3.	विज्ञान	दो
4.	मानविकी और समाज विज्ञान	दो
5.	गणित	दो
6.	भाषाएं	तीन
7.	ललित कलाएं/निष्पादक कलाएं	दो
8.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक

टिप्पणियां (i) यदि विद्यार्थियों की संख्या दो वर्षों के लिए केवल एक सौ हो, तो संकाय के सदस्यों की संख्या को घटा कर 8 कर दिया जाएगा। विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों और कुछ शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में संकाय का बंटवारा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(ii) संकाय का उपयोग अध्यापन के लिए लचीले तरीके से किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध शैक्षिक (अकादमिक) विशेषज्ञता का इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

5.2 योग्यताएं

(ए) प्राचार्य /विभागाध्यक्ष

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ विज्ञान/समाज विज्ञानों/कलाओं/मानवीकरण विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि, और कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड/एम.ए. (शिक्षा)/एम.एलएड की उपाधि।

(ii) किसी अध्यापक शिक्षा संस्था में पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: शैक्षिक प्रशासन/शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा।

(बी) शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार; और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्र

डी.एल.एड में अध्यापक शिक्षकों के पास 50 प्रतिशत अंकों के साथ समाज विज्ञान/विज्ञानेतर विषयों/विज्ञान/भाषा में मास्टर (एम.ए.) की उपाधि और 50 प्रतिशत अंको के साथ एम.एड. की डिग्री अथवा 50 प्रतिशत अंको के साथ एम.ए (शिक्षा) की उपाधि होनी चाहिए [सिवाय (दो) स्थितियों के, जहां आवश्यकता 50 प्रतिशत अंको के साथ व दर्शन शास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.एल.एड अथवा बी.एड अथवा डी.एल.एड की उपाधि, अथवा शिक्षा में एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि है।]

(सी) शारीरिक शिक्षा

(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ व्यायाम शिक्षा में मास्टर की डिग्री (एम.पी.एड.)।

(डी) दृश्य और अभिनय निष्पादन कलाएं

(i) ललित कलाओं/संगीत/नृत्य/थिएटर में 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

(क) संख्या

—उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक —एक

—कम्प्यूटर आपरेटर—सह—स्टोर कीपर —एक

—कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट (कम्प्यूटर विज्ञान में बीसीए/बी.टेक) —एक

—पुस्तकालयाध्यक्ष (बी.लिब के साथ) —एक

(ख) योग्यताएं

जैसी कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की गई हों।

[**टिप्पणीः** किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल और शैक्षिक (अकादमिक), प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ को परस्पर बांटा जा सकता है। वहां एक प्रिंसिपल होगा और अन्यों को विभागाध्यक्ष कहा जा सकता है।]

5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर—अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतन—मान, अधिवार्षिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होगी।

6. सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ संयुक्त रूप से डी.एल.एड कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगाः

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)
डी.एल.एड	1500 वर्ग मीटर	2500
डी.एल.एड और बी.एड + बी.ए/बी.एससी, बी.एड का शिक्षा	3000 वर्ग मीटर	3000
डी.ई.सी.एड और उसके साथ डी.एल.एड	2500 वर्ग मीटर	3000
डी.एल.एड और उसके साथ बी.एड और एम.एड	3500 वर्ग मीटर	3500
डी.एल.एड और डी.ई.सी और उसके साथ बी.एड और एम.एड	4000 वर्ग मीटर	4000

टिप्पणीः डी.एल.एड के एक यूनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ख) संस्था में निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं अवश्य होना चाहिए (प्रत्येक मद में पीडब्ल्यडी के लिए गुंजाइश शामिल होनी चाहिए):

(i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा का एक कमरा।

(ii) कुल 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो।

(iii) पुस्तकालय एंव सह—संसाधन केन्द्र।

(iv) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला (विज्ञान और गणित किटों, नक्शों, ग्लोब, रसायनों, विज्ञान किटों, आदि के साथ)।

(v) कम्प्यूटर प्रयोगशाला।

(vi) कला और शिल्प संसाधन केन्द्र।

(vii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्र।

(viii) प्रिंसिपल का कार्यालय।

(ix) स्टाफ के लिए कमरा।

(x) प्रशासनिक कार्यालय।

(xi) स्टोर के कमरे (दो)।

(xii) पुरूष और महिला विद्यार्थी—अध्यापकों के लिए अलग—अलग समान्य कक्ष।

(xiii) केंटीन।

(xiv) आगन्तुक कक्ष।

(xv) पुरूष और महिला विद्यार्थी–अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग–अलग प्रसाधन एवं शौचालय सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी डब्ल्यू डी के लिए होना चाहिए।

(xvi) पार्किंग स्थल।

(xvii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थान।

(xviii) स्टोर रूम।

(xix) बहु प्रयोजनी खेल का मैदान।

टिप्पणीः दाखिल किए गए यूनिटों की संख्या के अनुसार क्रम संख्या (i) की आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगी।

6.2 अनुदेशात्मक

(क) संस्था पुस्तकालय–व–संसाधन केन्द्र स्थापित करेगी, जहां अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुंच अध्यापन–शिक्षाप्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और संसाधनों तक होगी। इनमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए।

(i) पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii) श्रव्य–दृश्य उपस्कर–टी.वी, ओएचपी, डीवीडी प्लेअर,

(iv) श्रव्य–दृश्य उपकरण, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन के उपकरण – चार्ट, चित्र,

(vi) विकास मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन के साधन,

(vii) फोटो–प्रतियां तैयार करने की मशीन।

(ख) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियां

उपस्कर और सामग्रियां उन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिनकी योजना कार्यक्रम में बनाई गई हो, उपयुक्त गुणवत्ता वाली और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

शैक्षिक किट, माडल, खेलों की सामग्री, विभिन्न विषयों (गीतों, खेलों, क्रियाकलापों, और वर्कशीटों) पर सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, चित्रों वाली पुस्तकें, फोटोग्राफ, फुलाई हुई चीजें, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, गुटके, चित्र, वाली बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं के चित्रीय प्रस्तुतीकरण।

(ग) उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएं तथा शिल्प क्रियाकलाप

लकड़ी से काम करने के औजारों का एक सेट, बागबानी के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, कपड़ों की सिलाई करने, पोशाकों के डिजाइन तैयार करने, कठपुतली के खेल दिखाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री और उपस्कर, चार्ट और माडल तैयार करने के लिए सामग्री; और विद्यार्थी–अध्यापक द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाशील कार्य–कलाप; कला सामग्री, अपशिष्ट सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड, आदि), कैंचियों, पैमानों (स्केल), आदि जैसे अन्य साधन, और कपड़ा।

(घ) श्रव्य दृश्य उपस्कर

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं, जिनमें टी वी, डी वी डी प्लेअर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, चित्र, शामिल हैं। उपग्रह आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेटेलाइट इंटर टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(ङ) संगीत उपकरण (वाद्य)

समान्य संगीत उपकरण अर्थात साज, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी मंजीरा और अन्य देशी वाद्य।

(च) पुस्तकें जर्नल और पत्रिकाएं

संस्था की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं और हर वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें बढ़ाई जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के लिए विश्वकोश, शब्द–कोश, सन्दर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें, अध्यापकों के काम आने वाली पुस्तिकाएं, बच्चों के बारे में और बच्चों के लिए पुस्तकें (जिनमें चुटकले (कामिक्स), कहानियां, चित्रों वाली पुस्तकें/एल्बम और कविताएं शामिल हैं) और वे पुस्तकें/संसाधन पुस्तकें शामिल होनी चाहिएं, जो एनसीटीई द्वारा प्रकाशित की गई हों और जिनकी सिफारिश एनसीटीई द्वारा की गई हो, और शिक्षा के क्षेत्र के कम से कम तीन अन्य प्रतिष्ठित जर्नल भी इस संग्रह में शामिल होने चाहिएं।

(छ) खेल और खेलकूद

भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले सामान्य खेलों के पर्याप्त खेल उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षिक और अन्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर अपेक्षित संख्या में।

(ख) पुरूष और महिला अध्यापक शिक्षकों/विद्यार्थी –अध्यापकों के लिए अलग–अलग सांझे सामान्य कमरे।

(ग) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(घ) संस्था में सुरक्षित पेय जल मुहैया किया जाए।

(ड) संस्था का परिसर, इमारत, सुविधा, आदि अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल होने चाहिएं।

(च) खेल के मैदान के साथ खेलों की सुविधाएं होनी चाहिएं। वैकल्पि रूप से, संलग्न स्कूल अथवा स्थानीय निकाय के उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग निर्धारित अवधियों के लिए अनन्य रूप से किया जा सकता है। जहां स्थान की कमी हो, जैसे कि महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहां छोटे मैदानों में खेले जाने वाले खेलों, योग और अन्तरंग खेलों के लिए सुविधाएं मुहैया की जा सकती है।

(टिप्पणीः यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों में अनुपात के अनुसार वृद्धि करके) और शैक्षिक स्थान का उपयोग बांट कर किया जा सकता है)

7. प्रबंधन समिति

संस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयमेव प्रबन्ध समिति गठित करेगी। समिति में प्रबन्ध समिति/न्यास/कम्पनी, शिक्षा विशारदों, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञों और स्टाफ के प्रतिनिध शामिल होंगे।

परिशिष्ट–3

प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) की डिग्री प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक का कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा का चार वर्ष का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम है, जो उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकडरी) शिक्षा के बाद प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापक तैयार करना है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक प्रकार के व्यावसायिक और शैक्षिक (अकादमिक) विकल्पो के लिए तैयार करता है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए विशेष अभिविन्यास के साथ प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाना; विभिन्न हैसियतों में प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली का नेतृत्त्व करना; सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रक में प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापन और अनुसन्धान करना; शिक्षा और अन्य विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान करना; और विभिन्न राज्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभागों/कॉलेजों में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अध्यापक शिक्षकों के रूप में कार्य करना शामिल है।

1.2 बी.एल.एड कार्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के उस संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो उदार कला विषयों, मानविकी, समाजविज्ञान, वाणिज्य, गणित और विज्ञानों में स्नातकपूर्व शिक्षा प्रस्तुत करता हो, अथवा विश्वविद्यालय के किसी ऐसे संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो बहुविध अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता हो, अथवा बहु–विषयक संकाय वाले विश्वविद्यालय में, जिनकी परिभाषा विनियम 2.1 में दी गई है, प्रस्तुत किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य–दिवस

2.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) का कार्यक्रम कम से कम चार शैक्षिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसमें कम से 20 कार्य–सप्ताहों की स्कूल प्रशिक्षुता शामिल है, जिनमें से चार कार्य–सप्ताह अध्ययन के तीसरे वर्ष में होंगे और 16 कार्य–सप्ताह अध्ययन के चौथे/अन्तिम वर्ष में होंगे।

2.2 इस कार्यक्रम में दाखिल लिए गए उम्मीदवार अन्तिम वर्ष की परीक्षा प्रवेश लेने के वर्ष से छः वर्ष तक के भीतर दे देंगे।

2.3 प्रत्येक वर्ष कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिनमें प्रवेश और परीक्षा की अवधि शामिल नहीं होगी, किन्तु कक्षा में कार्य करने, अभ्यास करने, स्कूलों के साथ व्यस्तता और स्कूल प्रशिक्षुता की अवधि शामिल होगी। संस्थान सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगा, जिसके दौरान संकाय के सदस्य अर्थात शिक्षकगण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए जिनमें विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक कार्य करना और उन्हें परामर्श देना शामिल है, उपलब्ध रहेंगे।

2.4 विद्यार्थी–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति पाठ्यक्रम के सारे कार्य के लिए, जिसमें प्रायोगिक कार्य भी शामिल है, 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।